27/5/17 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुई।
वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. (7) एवं (10) उपस्थित।
प्रति सं. (1) से (6) (8) (9) (11) अनुपस्थित। अप्रार्थी
लिया जाता है। प्रति सं. (1) से (6) (8) (9) (11) के खिलाफ। एकतर
का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पेश ह
शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, कैम्प कोर्ट – रूपाहेली।

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 42/2017

1. अंनिता पत्नी भवंर लाल सांसी, निवासी भीलवाडा।

–प्रार्थिया

बनाम

1. शिवराज पिता देवा भील, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. लादु पिता रूपा रेगर, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मांगी पत्नी मोहन लाल खटीक, निवासी पुरानी धानमण्डी खटीक मोहल्ला, शिव मन्दिर के पास भीलवाडा।
4. राजकन्या पत्नी शंकर लाल सांसी, निवासी सांगानेर कोलोनी आदर्शनगर भीलवाडा।
5. नारायण पिता मगना रेगर, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नारायण पिता रूघनाथ कुम्हार, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. रामबक्ष पिता बक्षा जाट, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. लादु पिता हरलाल गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. देवी पिता भैरू भील, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
10. गणेश पिता हरलाल गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
11. नर्बदा पत्नी रूकमाल सांसी, निवासी सांगानेर कोलोनी भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 22.05.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के **खाता संख्या 02** में स्थित आराजी संख्या 806 रकबा 01–03 बीघा, आराजी संख्या 807 रकबा 00–04 बीघा, आराजी संख्या 808 रकबा 00–18 बीघा, आराजी संख्या 844 रकबा 01–08 कुल किता 04 कुल रकबा 03–13 बीघा, **खाता संख्या 113** में आराजी संख्या 839/1 रकबा 00–07 बीघा आराजी संख्या 841/1 रकबा 00–14 बीघा, आराजी संख्या 843/2 रकबा 00–15–10 बीघा, आराजी संख्या 845/1 रकबा 01–05 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 03–01–10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थिया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 07 व 10 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 01 से 06, 08, 09, 11 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थिया स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धूमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील भीलवाडा में स्थित **खाता संख्या 02** में स्थित आराजी संख्या 806 रकबा 01–03 बीघा, आराजी संख्या 807 रकबा 00–04 बीघा, आराजी संख्या 808 रकबा 00–18 बीघा, आराजी संख्या 844 रकबा 01–08 कुल किता 04 कुल रकबा 03–13 बीघा, **खाता संख्या 113** में आराजी संख्या 839/1 रकबा 00–07 बीघा आराजी संख्या 841/1 रकबा 00–14 बीघा, आराजी संख्या 843/2 रकबा 00–15–10 बीघा, आराजी संख्या 845/1 रकबा 01–05 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 03–01–10 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थिया इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा